181/16

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**अपील सूचना अधिकार संख्या 181/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर**

06–02–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 10.11.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से चाही गई सूचनांए उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 10.11.2016 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. प्रभारी अधिकारी मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के पत्रांक 8499–8500 दिनांक 24.10.16 आपके कार्यालय में पहुंचने की दिनांक व पत्र प्राप्ति की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. उपरोक्त पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार/अधिकारी का नाम व पद की सूचना
3. पत्र प्राप्ति से लेकर इस आवेदन का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस–जिस कर्मकार/अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
4. पत्र में अकिंत जांच का विषय श्री सांवरमल रैगर तत्कालीन तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पद का दुरूपयोग व से षडयंत्र कर एवं प्राइवेट वकील नियुक्त कर इस्तगासा लच्चर बनाने बाबत जो कार्यवाही आप द्वारा की गयी है। उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. उपरोक्त पत्रांक पर श्री सांवरमल रैगर के विरूद्व कार्यवाही जिस अधिकारी, जिस धारा के अन्तर्गत नही की गयी है।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 एफ1(23)(13)स्था/16/12592 दिनांक 22.12.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचनांओ के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र सं0 एफ1(23)(11)स्था/13/17974 दिनांक 30.11.16 को पंजिकृत डाक से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
181/16

| क. स. | आवेदक द्वारा चाही गई सूचना | आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का जवाब |
|---|---|---|
| 1. | प्रभारी अधिकारी मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के पत्रांक 8499–8500 दिनांक 24.10.16 आपके कार्यालय में पहुंचने की दिनांक व पत्र प्राप्ति की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि। | बिन्दु संख्या 01 के सन्दर्भ में आप द्वारा चाही गई वांछित सुचना प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना की व्याख्या करना अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है ओन ना ही सूचना प्रकटन के संबध मे कोई लोकहित दिखाई देता है। अतः वांछित सूचना देय नही है। प्रभारी अधिकारी मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के पत्रांक 8499–8500 दिनांक 24.10.16 के पत्र (एक पृष्ठ) की प्रमाणित इस कार्यालय में मात्र दो रूपये फोटो प्रति शुल्क जमा करवा कर ली जा सकती है। |
| 2. | उपरोक्त पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार/अधिकारी का नाम व पद की सूचना | बिन्दु सं0 02 के संदर्भ में आप द्वारा चाही गई वांछित सुचना जांच कार्यवाही/लोकसेवको (तृतीय पक्षकारों) से संबधित है। सूचना प्रकटन के संबध में कोई लोकजित दिखाई नही देता है अतः सूचना देय नही है। |
| 3. | पत्र प्राप्ति से लेकर इस आवेदन का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस–जिस कर्मकार/अधिकारी का नाम व पद की सूचना। | बिन्दु सं0 03 के संदर्भ में आप द्वारा चाही गई वांछित सूचना जांच कार्यवाही/लोकसेवको (तृतीय पक्षकारों) से संबधित है। सूचना प्रकटन के संबध में कोई लोकजित दिखाई नही देता है अतः सूचना देय नही है। |
| 4. | पत्र में अकिंत जांच का विषय श्री सांवरमल रैगर तत्कालीन तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पद का दुरूपयोग व से षडयंत्र कर एवं प्राइवेट वकील नियुक्त कर इस्तगासा लच्चर बनाने बाबत जो कार्यवाही आप द्वारा की गयी है। उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि। | बिन्दु सं0 04 के संदर्भ में आप द्वारा चाही गई वांछित सूचना प्रश्नात्मक/जांच कार्यवाही से संबधित है, जो सूचना की परिभाषा में नही आता है ओर ना सूचना प्रकटन के संबध में कोई लोकहित दिखाई नही देता है अतः सूचना देय नही है। |
| 5. | उपरोक्त पत्रांक पर श्री सांवरमल रैगर के विरूद्व कार्यवाही जिस अधिकारी, जिस धारा के अन्तर्गत नही की गयी है। | बिन्दु सं0 05 के संदर्भ में आप द्वारा चाही गई वांछित सूचना प्रश्नात्मक/जांच कार्यवाही से संबधित है, जो सूचना की परिभाषा में नही आता है ओर ना सूचना प्रकटन के संबध में कोई लोकहित दिखाई नही देता है।<br>अतः सूचना देय नही है |

लोक सूचना अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन से बिन्दु सं0 1 की सूचना के लिए एक पृष्ट की सूचना के लिए 2रूपये राशि जमा करवाने के लिए अपीलार्थी को लिखा गया है जो अपीलार्थी को जमा करवाकर सूचना प्राप्त करनी चाहिए। शेष बिन्दु सं0 2 से 5 की सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित होने, प्रश्नात्मक होने से उपलब्ध नही करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार राज्य**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

181/16 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

**लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर सही है। फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए **लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर** को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं **लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर** को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( ज्ञाना राम )
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

405-6
16-2-17